राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

राधाकृष्ण, शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन जे.एल.एन मार्ग जयपुर (राज.)

क्रमांकः– प. 101/छात्रावास संचालन/डी.डी.–I/अ.मा.वि./2012 पार्ट–II/ 4665-66 दिनांकः– 6/7/15

जयपुर और बीकानेर के राजकीय महिला छात्रावासों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश

1. छात्रावास में छात्राओं की कक्षा एवं सीटों के संबंध में–

1. जयपुर एवं बीकानेर में राजकीय अल्पसंख्यक महिला छात्रावास महाविद्यालय स्तर की कक्षाओं तथा विश्वविद्यालय में अन्य उच्च पाठयक्रमों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिये छात्रावास सुविधा हेतु संचालित किये जाने है।

2. अल्पसंख्यक छात्रावास जयपुर एवं बीकानेर में अल्पसंख्यक बालिकओं (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) को प्रवेश निम्न अनुपात में दिया जावेगाः–

(i) मुस्लिम – 79.00 प्रतिशत
(ii) सिक्ख – 10.00 प्रतिशत
(iii) ईसाई – 1.05 प्रतिशत
(iv) बौद्ध – 0.05 प्रतिशत
(v) पारसी – 0.00 प्रतिशत
(vi) जैन – 8.00 प्रतिशत

3. यदि निर्धारित अनुपात के अनुसार छात्रावास में प्रवेश के लिये आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो सभी वर्गो की सामान्य वरीयता के आधार पर शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जावेगा।

4. इन महिला छात्रावासों में छात्राओं के प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीटे अल्पसंख्यक वर्ग के विधवा, विकलांग, अनाथ व बीपीएल परिवार की छात्राओं के प्रवेश के लिये आरक्षित रहेंगी। शेष रहे रिक्त स्थानों पर छात्राओं की मैरिट एवं वार्षिक आय को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्राप्त अंको की वरीयता के आधार पर निम्न श्रेणीवार प्रवेश दिया जायेगा :–

(i) 50 प्रतिशत स्थान उच्च तकनीकी जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., बी.बी.ए., सी.ए., बी.सी.ए., एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों जैसे– नर्सिंग, बीएड आदि अध्ययनरत छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेगा।

(i) शेष 50 प्रतिशत स्नातक/स्नातकोत्तर सामान्य पाठ्यक्रमों में रखा जावेगा।

परन्तुक–(a) श्रेणी में स्थान रिक्त रहने पर (b) श्रेणी की छात्राओं को वरीयतानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

5. छात्रावास में पूर्व प्रवेशित छात्राओं को गत कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किये जाने पर ही छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा। यदि आवासी छात्रा द्वारा 50 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं किये जाते तो ऐसी स्थिति में उसे पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. छात्रावास में प्रवेश के लिये चयन की प्रक्रिया–

1. शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिए छात्रावास में छात्राओं के प्रवेश के लिए इच्छुक छात्राओं के आवेदन पत्र आमत्रित करने के लिये स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति 15 जून, 2015 तक दी जावेगी। उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधकारी कार्यालय में जमा करवाये जावेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 जून, 2015 रहेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों को छात्रावास प्रवेश पंजिका में दर्ज किये जावेंगे। प्रवेश हेतु निर्धारित अहर्ताओं एवं प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

2. छात्रावास में प्रवेश के लिए प्रवेश कमेटी का गठन विभाग द्वारा पृथक आदेश के द्वारा किया गया हे। प्रवेश कमेटी की बैठक माह जुलाई 2015 के प्रथम सप्ताह में आयोजित कर प्रवेश सुनिश्चित करें। इस सम्पूर्ण कार्यवाही की जिम्मेदारी संबधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की होगी। प्रथम चरण में प्रवेश पश्चात् रिक्त रहे स्थानों पर पुनः प्रवेश समिति की बैठक एक पखवाडे पश्चात् आयोजित कर प्रक्रिया सम्पन्न की जावेगी। यह प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूर्ण कर ली जावे। यदि इसके पश्चात् भी छात्रावास में कोई स्थान रिक्त रहता है तो निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर प्रवेश दिया जा सकेगा।

3. छात्रावास में प्रवेश के लिये निम्न अहर्ताऐं निर्धारित की जाती है। आवेदन पत्रों में निम्न प्रकार छात्रावास में प्रवेश का आधार रहेगा।

4. छात्रावास में प्रवेश पाने वाली छात्रा के परिवार (माता–पिता) की वार्षिक आय सभी स्त्रोतो से 2,50,000/– रूपये से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में स्वयं के द्वारा उदघोषित एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त करें।

5. छात्रा का चरित्र उत्तम श्रेणी का होना चाहिए, इस सम्बन्ध में जिस विद्यालय में उसने अध्ययन किया है उसके प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है।

6. छात्रावास में रह रही अनुर्तीण छात्राओं को अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रावास में प्रवेश नही दिया जायेगा। परन्तु यदि छात्रा के अनुर्तीण रहने का कारण बीमार हो जाने पर परीक्षा न दे पाना या अन्य असामान्य घटना है तो उसे एक साल के लिये उसी कक्षा में अध्ययन के लिये छात्रावास में यथावत स्थान उपलब्ध करवाया जा सकेगा ।

7. जो छात्रा अध्ययन के साथ सर्विस या व्यवसाय कर रही है उसे छात्रावास में प्रवेश नही दिया जायेगा।

8. जो छात्रा किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो उसे छात्रावास मे प्रवेश मे नही दिया जायेगा।

3. छात्रावासों के लिये वित्तीय प्रबन्धनः–

1. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये भोजन, वस्त्र सहित आवर्तक वस्तुओं का क्रय हेतु निम्नानुसार मैस समिति द्वारा किया जायेगाः–

(i)	अधीक्षीका	अध्यक्ष
(ii)	उच्चतम कक्षा की एक छात्रा	सचिव
(iii)	5 अन्य छात्राऐं	सदस्य

2. मैस समिति के सचिव का चयन छात्रावास की छात्राओं द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जायेगा। कुल पांच सदस्यों में से दो चुने जायेंगे एवं शेष तीन सदस्य मनोनीत किये जावेंगे। चुनाव अधीक्षक द्वारा सत्र के प्रारम्भ में ही गुप्त मतदान की विधि से कराये जायेंगे। अधीक्षक द्वारा मनोनयन उन तीन छात्रों का किया जायेगा जिनकी पिछली वार्षिक परीक्षा में अधिकतम अंक आये हों। यह छात्र अलग–अलग कक्षा के मनोनीत किये जायेंगे।

3. मैस समिति आवासी छात्र/छात्राओं के भोजन, नाश्ता/विशेष भोजन, पोशाक, बिजली, साबुन–तेल, आदि अन्य प्राविधिक सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। मैस समिति की अभिशंषा से गुणवत्तापूर्ण पोशाक आदि का क्रय खादी भंडार/हथकरघा/बुनकर संघ के माध्यम से किया जाये। भोजन सामग्री का क्रय सहकारी उपभोक्ता भण्डार से किया जावेगा।

4. मैस समिति के खाते में राशि जमा कराने की प्रक्रियाः–

1. मैस समिति को देय राशि जिलाधिकारी द्वारा मैस समिति के बैंक खाते में जमा करवायी जायेगी। उक्त मैस समिति के बैंक खाते का संचालन विभागीय जिलाधिकारी व संबंधित छात्रावास अधीक्षीका द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। मैस समिति का सम्पूर्ण लेखा रखने की जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षीका की होगी। आवासीय छात्र/छात्राओं को प्रति शैक्षणिक सत्र अधिकतम 10½ माह की अवधि के लिये मैस भत्ते व अन्य सुविधाओं हेतु स्वीकृत की जायेगी। मैस समिति के द्वारा किये गये व्यय का विवरण जिला अल्पसंख्यक

कल्याण अधिकारी से अनुमोदन पश्चात् आगामी माह हेतु आवश्यक राशि (चैक) मैस कमेटी के खाते से आहरित की जा सकेगी।
जिन छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक सत्र परीक्षा होने के उपरान्त समाप्त हो गया है उनको नियमित रूप से छात्रावास में नहीं रखा जायेगा।

5. विभाग द्वारा निम्नानुसार राशि उपलब्ध करवाई जायेगीः–

1. विभाग द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रथम किश्त सत्र के प्रारम्भ में 6 माह (1 जुलाई से 30 दिसम्बर) के व्यय हेतु एक मुश्त दी जावेगी।
2. द्वितीय किश्त माह (जनवरी, फरवरी एवं मार्च) हेतु वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर माह जुलाई से नवम्बर तक की उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 15 दिसम्बर तक खाते में जमा करा दी जावेगी।
3. अंतिम किश्त (1 अप्रेल से 15 मई तक की अवधि) संबंधित वित्तीय वर्ष में 15 अप्रेल तक दी जावेगी।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मैस समिति के खाते में प्रत्येक तीन माह हेतु राशि अग्रिम रूप से जमा करवायेंगे। मैस समिति की मांग पर तथा पूर्व माह के खर्चे की जांच के आधार पर आगामी माह हेतु मैस समिति को राशि आहरित करने की आज्ञा प्रदान करेगा। अन्तिम तीन माह की किश्त छात्रावासों के छात्रों के स्कूल की उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मैस समिति के खाते में जमा करवा दी जायेगी। मार्च से सत्र समाप्ति तक की उपस्थिति का प्रमाण पत्र नवीन सत्र चालू होने पर प्रथम किश्त स्वीकृत करने से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा इस अवधि में अगर मैस समिति के खाते में कोई बचत हुई तो उस राशि का समायोजन आगामी वर्ष की प्रथम किश्त में कर लिया जायेगा।
5. विभाग द्वारा मैस समिति के खाते में भोजन एवं अन्य प्रावधित सुविधाओं हेतु आवश्यक राशि राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय–समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार एवं भविष्य में यथा संशोधित दरों से उपलब्ध करवाई जावेगी।

6. राजकीय छात्रावासों में संधारित किया जाने वाला रिकॉर्डः–

1. विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक द्वारा निम्नानुसार रिकॉर्ड का आवश्यक रूप से संधारण किया जावेगाः–

(i) छात्र/छात्रा प्रवेश पंजिका

(ii) मूवमेन्ट पंजिका–छात्रावास अधीक्षक द्वारा मूवमेन्ट पंजिका का नियमित रूप से संधारण किया जायेगा जिसमें आवासीय छात्र/छात्राओं के छात्रावास से बाहर जाने, अवकाश पर जाने का समय, दिनांक व उनके हस्ताक्षर का स्पष्ट अंकन किया जायेगा। मूवमेन्ट पंजिका में दैनिक रूप से प्रविष्ठि अंकन की जायेगी। पंजिका के नियमित संधारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा।

(iii) छात्र प्रवेश पंजिका
(iv) छात्र उपस्थित पंजिका
(v) स्टाफ उपस्थित पंजिका
(vi) राशन पंजिका
(vii) रोकड़ पंजिका
(viii) बिल/वाउचर पंजिका
(ix) स्थाई भण्डार पंजिका
(x) अस्थाई भण्डार पंजिका
(xi) अनावर्तक सामान वितरण पंजिका
(xii) मैस समिति बैठक पंजिका
(xiii) आवासी व्यक्तिगत पंजिका
(xiv) सामान्य पत्राचार पंजिका
(xv) विजिटर्स पंजिका

उक्त सभी पंजिकाओं की पृष्ठ संख्या का संबंधित छात्रावास अधीक्षक द्वारा सत्रारम्भ में ही प्रमाणीकरण किया जायेगा।

7. छात्रावासों में छात्राओं का उपलब्ध करवाये जाने वाली सुविधायें:–

1. भोजन, नाशता, बिजली, पानी, साबून–तेल, पोशाक आदि पर व्यय मैस समिति जो कि इन नियमों के अंतर्गत होगी के द्वारा किया जाये।
2. प्रति छात्रा को निम्न सामान उपलब्ध करवाया जायेगा।
   (i) एक दरी
   (ii) दो कम्बल
   (iii) एक तकिया मय दो कवर
   (iv) एक खेस
   (v) दो चादर
   (vi) एक गद्दा
3. प्रत्येक छात्रा को निम्नानुसार बर्तन दिये जायेंगे।
   (i) एक थाली
   (i) दो कटोरी/चम्मच
   (iii) एक प्लास्टिक मग
   (iv) चारपाई या तख्ता
   (v) आलमारी या लोहे का बक्सा
4. छात्रावास से दी जाने वाली सुविधाओं का एक चार्ट सर्वदर्शित स्थान पर आवश्यक रुप से प्रदर्शित किया जायेगा।

8. एक ताला बंद सुझाव पेटिका प्रत्येक छात्रावास में रखी जायगी। अधीक्षीका समय पर उसे खोलकर सुझावो की एक पुस्तिका में नोट करते हुये समस्याओं का निदान करेंगे।

9. जिलाधिकारी के कर्तव्य:–

1. जिले के राजकीय/अनुदानित छात्रावासों को जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार समय–समय पर अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
2. मूवमैन्ट रजिस्टर, अनुशासन पंजिका, रसोई का सामान के क्रय के लिये चिन्हित प्रतिष्ठित दुकानों के नामों की पंजिका, फस्ट एड बॉक्स की पंजिका, छात्र–छात्राओं के प्राप्तांकों की तुलना एवं ट्यूशन की व्यवस्था से संबंधित पंजिका Acadamic Group Dynamics एवं भ्रमण से संबंधित पंजिका तथा वाचनालय से पुस्तकें आवंटित करने की पंजिका अपने हस्ताक्षरों से हर साल 30 जून तक इसके पश्चात् आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिये जारी करेगा और शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर उन्हें अपने कार्यालय में जमा करेगा। इन पंजिकाओं का संधारण अधीक्षक स्वयं करेगा।
3. जिले में स्थित प्रत्येक छात्रावास का तीन माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट अगले माह की 5 तारीख तक विभागाध्यक्ष को भेजेगा।
4. अधीक्षक आकस्मिक अवकाश पर जिलाधिकारी से अनुमोदन होने के पश्चात् ही प्रस्थान करेगा तथा अधीक्षक की अनुपस्थिति में छात्रावास के अधीक्षक कार्यो के संचालन की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा।

10. उपरोक्त के अलावा राजकीय महाविधालय महिला छात्रावास संचालन नियम–2010 के प्रावधान आगामी आदेश तक लागू रहेंगे।

(शंकुन्तला सिंह)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव